37

सर्किट कोर्ट रीवा

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी 429-III-15

श्री सतानिंद्र पाण्डेय एड. द्वारा पेश किया गया
5.2.15

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

श्रीमती नंदिता अग्रवाल पत्नी श्री एन.के.अग्रवाल निवासी मास्टर प्लान सतना, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र...**निगराकारगण**

बनाम

36
5.2.15

1-संजय कुमार जैन पिता श्री प्रकाशचन्द्र जैन

2-निशा जैन पुत्री हुकुमचन्द्र जैन

दोनों निवासी सतना, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

3-म.प्र.शासन द्वारा हल्का पटवारी सज्जनपुर तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र............ **गैरनिगराकारगण**

क्रमांक 4591
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ________ को प्राप्त
23-2-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50का.मा. विरूद्ध आदेश श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त सज्जनपुर तहसील रामपुर बाघेलान के प्रकरण क्रं.7अ12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक-05.03.2014

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

संक्षिप्त तथ्यः-

गैरनिगराकार द्वारा अपने बटांको की आराजी का सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र विचारण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0 नि0429–तीन/15 जिला–सीधी सतना

श्रीमती ननदिता अग्रवाल/ संजय कुमार जैन

(1)	(2)	(3)
17.01.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हों। सदस्य	